FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0053 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/02/2026 17:09 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 23/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/02/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/02/2026 17:09:59 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY KHAND MUKHYA CHIKITSA ADHIKARI, GANGAPURCITY, SAWAIMADHOPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAYA DEVI

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** TIMAR SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1970 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MIRZAPUR, GANGAPURCITY, गंगापुर सिटी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MIRZAPUR, GANGAPURCITY, गंगापुर सिटी, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BATTILAL MEENA		पिता:KISHAN LAL	1. 268/4,MEENA COLONY,MANTOWN,MANTOWN,SAWAI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर। विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी मायादेवी पुत्री श्री तिमर सिंह निवासी अम्बडेकर धर्मशाला के पीछे वार्ड नं. 10 गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल पद स्थापन कार्यालय BCMO गंगापुर सिटी में ANM पर कार्यरत हॅू। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा स्थानान्तरण उपस्वास्थ्य चूली से बीसीएमएचओ गंगापुर सिटी दिनांक 15/1/2025 को स्थानान्तरण हो गया था। दिनांक 20/1/2025 को बीसीएमएच कार्यालय में जोईनिंग कर लिया था। उसके कई महिने उपरान्त मुझे नाजायज परेशान करके बीसीएमओ बत्तीलाल मीना गंगापुर सिटी ने उपस्वास्थय केन्द्र डिबस्या और फिर डिबस्या से जाट बडौदा लगा दिया। ठब्डभ्व् साहब से मैने निवेदन किया कि मेरी काफी उम्र हो चुकी है। मैं सेवा निवृति के पास में हु । मुझे कार्यालय में ही काम करने की अनुमति देवे, जिस पर बत्तीलाल मीना ने कार्यालय में पदस्थापन के लिए मेरे से 20,000/- बीस हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है। मैं बत्तीलाल मीना BCMHO गंगापुर सिटी को रिश्वत नही देना चाहती हॅू, बल्कि रिश्वत देते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहती हॅू। मेरी बत्तीलाल जी मीना से कोई पुराना लेन-देन व रंजिश नही है। अतः श्रीमानजी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी- माया देवी ANM मो. नं.

दिनांक-25.12.2025 हस्ता. ज्ञान सिंह चैधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी सवाई माधोपुर दिनांक 25.12.2025, ह0 स्वतंत्र गवाह- रविन्द्र कुमार जाटव व लाल बहादुर चतुर्वेदी दिनांक 23.02.2026, कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 24.12.2025 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सवाई माधोपुर को ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 से प्राप्त सूचना अनुसार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष परिवादिया श्रीमति माया देवी निवासी गंगापुर सिटी ने बताया कि मेरा स्थानान्तरण उपस्वास्थ्य केन्द्र चूली से बीसीएमओ गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर भी हो गया है। फिर भी डॉ. बत्तीलाल मीना बीसीएमओ गंगापुर सिटी मुझसे कार्यालय बीसीएमओ में पदस्थापन के लिए मेरे से 20,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। इस पर मामला रिश्वत मांग का पाये जाने से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 को तलब कर परिवादीया श्रीमति माया देवी से हुई वार्ता के बारे में बताकर श्री हम्मीर सिंह कानि. को परिवादीया श्रीमति माया देवी के मोबाईल नम्बर देकर परिवादीया से गंगापुर सिटी में पहुंच कर संपर्क कर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन हालात जरिये दूरभाष अवगत कराने की हिदायत कर श्री हम्मीर सिंह कानि0 से कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मैक मॉडल सोनी बरंग काला को निकालकर उसमें नया सनडिस्क माईक्रो एसडी कार्ड 32 जीबी डालकर खाली होना सुनिष्चत कर तथा वॉईस रिकार्डर व एसडी कार्ड के किसी भी फोल्डर में पूर्व से कोई आवाज रिकार्ड नही होना सुनिष्चित कर चालू व बंद करने की विधि समझाई जाकर भोलाराम कानि. 281 व श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को गवाह मामूर कर उनके सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर श्री हम्मीर सिंह कानि को हिदायत दी गई कि परिवादिया के संदिग्ध आरोपी के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा परिवादीया व संदिग्ध आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें एवं रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादीया के वापिस आने पर वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करने की हिदायत कर श्री हम्मीर सिंह कानि. को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु गंगापुर सिटी रवाना किया गया। फर्द सिपुर्दगी वाईस रिकॉर्डर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। इसके बाद समय 03.30 पी.एम पर श्री हम्मीर सिंह कानि0 02 कार्यालय से रवानाशुदा बाद रिश्वत मांग सत्यापन के उपस्थित कार्यालय आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड डले सहित व परिवादीया श्रीमति माया देवी द्वारा हस्त लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि मैं आज दिनांक 25.12.2024 को आपके निर्देशानुसार वास्ते रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु गंगापुर सिटी पहुंचा जहां पर परिवादीया श्रीमति मायादेवी से जरिये दूरभाष संपर्क करने पर परिवादीया द्वारा बताये गये स्थान मिर्जापुर गंगापुर सिटी चैराहे पर पहुंचा, जहां पर परिवादीया उपस्थित मिली। जिसने मुझे एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की गई। मन कानि. द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर हालात आपको जरिये व्हाटसेप निवेदन किये। जिस पर आपके निर्देशानुसार परिवादीया श्रीमति माया देवी को वाईस रिकार्डर मय डले एसडी कार्ड सहित को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर वाईस रिकार्डर मैनें चालू कर

परिवादीया को सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी बत्तीलाल मीना बीसीएमओ के पास गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कार्यालय बीसीएमओ गंगापुर सिटी रवाना कर मैं भी परिवादीया के पीछे-पीछे रवाना होकर उक्त कार्यालय के आसपास ही मुकीम हुआ। इसके कुछ समय पश्चात परिवादीया मेरे पास आयी, जिससे मैने वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके पश्चात परिवादिया ने बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर कार्यालय बीसीएमओ गंगापुर सिटी पहुंची, जहां पर बीसीएओ साहब डॉ. बत्तीलाल जी मेरे कार्यालय में ही मिल गये। मैने उनसे मेरे पदस्थापन के सम्बन्ध में बातचीत की तो उन्होने मेरे कार्यालय बीसीएमओ में पोस्ट पर लगाने के और बढाने की बात कही। फिर मैने कहा की सर थोडा कितना बढेगा, इस पर उन्होने कहा कि 10-5 बढेगा। फिर मैने उनको पांच हजार रूपये देते हुये कहा तो उन्होने कहा कि ये कितने है। इस पर मैने कहा की यह तो पांच है सर इस बीसीएओ बत्तीलाल जी ने कहा कि पूरे करते ना ये तो इस पर परिवादीया ने कहा की तनख्वाह आने पर पूरा कर दूंगी। इस पर बीसीएओ साहब ने कहा कि फोन-पे है क्या, जिस पर मेरे द्वारा कहा गया कि फोन-पे मेरे बेटे का है, मै नही चलाती। इस पर बीसीएओ ने कहा कि फोन-पे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा पांच कर देना, बाकि नगद ही करना। इस पर मैने कहा कि कितना बढेगा इस पर बीसीएमओ ने कहा की दस बढेगा, मैने कहा कि बीस से तीस इतना हो जायेगा, सर एसे क्यो करते हो। इस पर बीसीएमओ ने कहा कि इसी पोस्ट पर हो जायेगा। इस प्रकार मेरे काफी निवेदन करने पर बीसीएमओ साहब बत्तीलाल जी मेरे से 25,000/- रूपये लेने पर सहमत हो गये। परिवादीया के मेरे पास आने के पश्चात मैने आपसे जरिये व्हाटसेप कॉल कर हालात निवेदन किये तथा परिवादीया से आपकी बात करवायी तथा आपके निर्देशानुसार परिवादीया को 20,000/- रूपये की व्यवस्था करने हेतु व संदिग्ध आरोपी जब भी आपसे सम्पर्क करे तब आप ब्यूरो चैकी सवाई माधोपुर पर आकर सम्पर्क करने की हिदायत कर मौके से परिवादीया को रूखसत कर प्रार्थना पत्र व वाईस रिकार्डर मय डले एसडी कार्ड सहित रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हुं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादीया श्रीमति माया देवी द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र इस आशय का है कि मैं प्रार्थी मायादेवी पुत्री श्री तिमर सिंह निवासी अम्बडेकर धर्मशाला के पीछे वार्ड नं. 10 गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल पद स्थापन कार्यालय BCMO गंगापुर सिटी में ANM पर कार्यरत हॅू। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा स्थानान्तरण उपस्वास्थ्य चूली से बीसीएमओ गंगापुर सिटी दिनांक 15/1/2025 को स्थानान्तरण हो गया था। दिनांक 20/1/2025 को बीसीएमएच कार्यालय में जोईनिंग कर लिया था । उसके कई महिने उपरान्त मुझे नाजायज परेशान करके बीसीएमओ बत्तीलाल मीना गंगापुर सिटी ने उपस्वास्थय केन्द्र डिबस्या और फिर डिबस्या से जाट बडौदा लगा दिया। BCMO साहब से मैने निवेदन किया कि मेरी काफी उम्र हो चुकी है। मैं सेवा निवृति के पास में हूं। मुझे कार्यालय में ही काम करने की अनुमति देवे, जिस पर बत्तीलाल मीना ने कार्यालय में पदस्थापन के लिए मेरे से 20,000/- बीस हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है। मैं बत्तीलाल मीना BCMO गंगापुर सिटी को रिश्वत नही देना चाहती हॅू, बल्कि रिश्वत देते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहती हॅू। मेरी बत्तीलाल जी मीना से कोई पुराना लेन-देन व रंजिश नही है। अतः श्रीमानजी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाया गया है। इस पर श्री हम्मीर सिंह से प्राप्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को श्री भोलाराम कानि. व श्री राजवीर सिंह कानि. के समक्ष जरिये फर्द प्राप्त कर उसको सरकारी लेपटोप की मदद से चलाकर उसमें रिकार्ड वार्ता को स्पीकर की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से संदिग्ध आरोपी बत्तीलाल मीना बीसीएमओ गंगापुर सिटी द्वारा परिवादीया से कार्यालय बीसीएमओ गंगापुर सिटी में पदस्थापन की एवज में तीस हजार रूपये रिश्वति राशि मांगकर पच्चीस हजार रूपये लेने पर सहमत होना तथा पांच हजार रूपये प्राप्त करना व शेष राशि बीस हजार रूपये लेने पर सहमत होना पाया गया है। इस प्रकार परिवादीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व रिश्वत मांग सत्यापन से मामला रिश्वति राशि लेन-देन का पाया गया है। डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित व परिवादिया माया देवी द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को सुरक्षित मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कब्जे की कार्यालय आलमारी में रखा जाकर आलमारी को लॉक किया गया। इसके पश्चात दिनांक 20.02.2025 को समय 09.50 ए.एम पर श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि अभी कुछ समय पहले परिवादिया श्रीमति माया देवी ने जरिये मोबाईल मुझे बताया कि मेरे पास बीसीएमओ श्री बत्तीलाल मीना का फोन आया है और मुझे कार्यालय बुलाया है, हो सकता है आज बीसीएमओ बत्तीलाल जी मेरे से रिश्वत राशि लेन-देन की पुनः बात करें। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री हम्मीर सिंह कानि0 से कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड डले सहित जिसमें दिनांक 25.12.2025 को संदिग्ध आरोपी श्री बत्तीलाल मीना बीसीएमओ व परिवादीया श्रीमति माया देवी की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है, को निकालकर चालू व बंद करने की विधि समझाई जाकर कार्यालय में उपस्थित श्री मनोज कुमार कानि. चालक 647 व श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक को गवाह मामूर कर उनके सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर श्री हम्मीर सिंह कानि को हिदायत दी गई कि परिवादीया के संदिग्ध आरोपी के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द करें तथा परिवादीया व संदिग्ध आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें एवं रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादीया के वापिस आने पर वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करने की हिदायत कर श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 को रिश्वत मांग के पुनः

गोपनीय सत्यापन हेतु गंगापुर सिटी रवाना किया गया। फर्द सिपुर्दगी वाईस रिकॉर्डर बाद हस्ताक्षर शामिल रनिंग नोट की गई। इसके बाद समय 03.00 पी.एम पर श्री हम्मीर सिंह कानि0 02 कार्यालय से रवानाशुदा बाद रिश्वत मांग सत्यापन के उपस्थित कार्यालय आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि कार्यालय से रवाना होकर ईदगाह चैराहा गंगापुर सिटी पहुंचा, जहां पर पूर्व से पावन्दशुदा परिवादीया श्रीमति माया देवी उपस्थित मिली और मन कानि. को बताया कि आज सुबह मेरे पास बीसीएमओ साहब बत्तीलाल जी फोन आया था और मुझे कार्यालय में बुलाया है। इस पर मन कानि. द्वारा परिवादीया श्रीमति माया देवी को वाईस रिकार्डर मय डले एसडी कार्ड सहित को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर वाईस रिकार्डर मैनें चालू कर परिवादीया को सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी बत्तीलाल मीना बीसीएमओ के पास पुनः गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कार्यालय बीसीएमओ गंगापुर सिटी रवाना किया तथा मैं भी परिवादीया के पीछे-पीछे रवाना होकर कार्यालय बीसीएमओ गंगापुर सिटी के आस-पास मुकीम हुआ। इसके कुछ समय पश्चात परिवादिया माया देवी मन कानि. के पास उपस्थित आयी, जिससे मन कानि. द्वारा वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया जो चालू हालत में था, को बन्द कर सुरक्षित रखा। इसके पश्चात परिवादीया ने पूछने पर बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर कार्यालय बीसीएमओ गंगापुर सिटी पहुंची, जहां पर बीसीएमओ श्री बत्तीलाल जी मुझे कार्यालय में उपस्थित मिले, मैने कहा सर आपने बुलाया था मुझे, ''बत्तीलाल जी ने कहा कि हां बुलाया था, लाओ दे जाओ मुझे'' इस पर परिवादिया ने बताया कि इस समय तो मेरे पास पैसे नही है सर, आप कहो तो मैं कल सुबह दे जाउंगी। बत्तीलाल जी ने कहा कल तो मैं बाहर रहुंगा, सोमवार को 12-1 बजे तक तीस हजार रूपये दे जाना, जिस पर मैने कहा की सर 25 हजार की बात हुई थी, पांच हजार रूपये मैने दे दिये, अब मैं बीस हजार रूपये दूंगी आपको, बत्तीलाल जी ने कहा की बाबूजी को भी देने है पांच हजार आप मुझे ऐसा करना पच्चीस हजार सोमवार को दे देना''। इसके बाद मैने कहा कि सर पैसे देने के बाद आप मेरा ट्रान्सफर आदेश निकाल दोगे ना, इस पर बत्तीलाल जी ने कहा कि आप उसकी चिन्ता मत करो, मैं सब आदेश निकाल दूंगा। इसके पश्चात मैं वहां से रवाना होकर आपके पास आ गयी। इस पर मन कानि. द्वारा आपको जरिये व्हाटसेप कॉल कर हालात निवेदन कर आपके निर्देशानुसार परिवादीया को 25,000/- रूपये की व्यवस्था करने हेतु व दिनांक 23.02.2026 वार सोमवार को गंगापुर सिटी मिलने की हिदायत कर रवाना होकर कार्यालय में उपस्थित आया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री हम्मीर सिंह से प्राप्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को श्री मनोज कुमार कानि चालक 647 व श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक के समक्ष जरिये फर्द प्राप्त कर उसको सरकारी लेपटोप की मदद से चलाकर उसमें रिकार्ड वार्ता को स्पीकर की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से रिश्वत मांग वार्ता स्पष्ट है। डिजिटल वाईस रिर्काडर मय डले एसडी कार्ड सहित को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कब्जे की कार्यालय आलमारी में रखा जाकर आलमारी को लॉक किया गया। तत्पश्चात समय 03.30 पी.एम पर दिनांक 21.02.2026 व 22.02.2026 को शनिवार व रविवार होने से राजकीय कार्यालयों में अवकाश होने से ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर के नाम तहरीर जारी कर दो गवाह स्वंतत्र गवाह उपलब्ध कराने हेतु लिखा जाकर कानि. श्री मनोज कुमार कानि. 133 को कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर रवाना किया गया, जो समय 04.00 पी.एम पर कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर से दो गवाह श्री लाल बहादुर चतुर्वेदी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व श्री रविन्द्र कुमार जाटव कनिष्ठ सहायक को दिनांक 23.02.2026 को वक्त 08.00 ए.एम. पर उपस्थित कार्यालय होने हेतु पाबंद करवाकर उपस्थित कार्यालय आया। इसके पश्चात दिनांक 24.02.2025 को समय 08.00 ए.एम पर पावन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री लाल बहादुर चतुर्वेदी अति. प्रशासनिक अधिकारी व श्री रविन्द्र कुमार जाटव कनिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर उपस्थित कार्यालय आने पर पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके नाम पते पूछने पर उक्त ने अपने नाम पते क्रमशः श्री लाल बहादुर चतुर्वेदी पुत्र श्री मदन मोहन चतुर्वेदी जाति ब्राहम्ण उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट सायपुर तहसील व जिला करौली हाल अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय उप निदेषक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर एवं श्री रविन्द्र कुमार जाटव पुत्र श्री रतन लाल जाटव उम्र 27 वर्ष जाति जाटव निवासी रेलवे टीआरडी कॉलोनी सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर होना बताया। उक्त को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई। इसके पश्चात समय 08.20 ए.एम पर कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. 133 से कार्यालय का मालखाना खुलवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर सरकारी वाहन के डेश बोर्ड में रखवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक के हाथ साबुन पानी से धुलवाकर श्री राजवीर सिंह कानि. 149, श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक मय सरकारी बाहन बोलेरो मय श्री मनोज कुमार कानि. चालक 647 को ट्रेप कार्यवाही हेतु गंगापुर सिटी रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री मनोज कुमार कानि. 133 मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री लाल बहादुर चतुर्वेदी अति.प्रशासनिक अधिकारी व श्री रविन्द्र कुमार जाटव कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिंटर आदि उपकरणों के मय प्राईवेट वाहन के एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर से रवाना होकर समय 10.00 ए.एम पर ईदगाह ईदगाह तिराहा गंगापुर सिटी पहुंचा। जहां पर पूर्व में उच्चाधिकारीयों के

निर्देशानुसार पावन्दशुदा एसीबी चौकी करौली का जाप्ता श्री ब्रजेश कुमार कानि. 461 व श्रीमति ममता महिला कानि. 273 उपस्थित मिले एवं पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादिया श्रीमति माया देवी उपस्थित मिली जिसको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया से नाम-पता पूछ कर परिवादियां द्वारा पूर्व में दिनांक 25.12.2025 को गंगापुर सिटी में कार्यालय के श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 को पेश लिखित प्रार्थना पत्र को दिखाया गया तो उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्तलेख से लिखित होना व स्वयं के हस्ताक्षर होना बताते लिखित रिपोर्ट की ताईद की। तत्पश्चात परिवादियां का दोनो स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादिया द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 25.12.2025 को दिखाया व पढ़वाया जाकर, उस पर गवाहान के दिनांक सहित हस्ताक्षर करवाये गये एवं स्वतंत्र गवाहान को अब तक की ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादिया मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता मय सरकारी व प्राईवेट वाहन के अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना होकर डिबस्या रोड केन्द्रीय विद्यालय गंगापुर सिटी की तरफ रवाना हुआ। इसके पश्चात समय 10.35 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा डिबस्या रोड केन्द्रीय विद्यालय गंगापुर सिटी के पास स्थित मंदिर पर पहुंचा, जहां पर स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादिया माया देवी पुत्री श्री तिमर सिंह उम्र 58 वर्ष जाति राजपुत निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पीछे मिर्जापुर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल प्रषाविका (एएनएम) कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल कार्यरत उप स्वास्थ्य केन्द्र जाट बडोदा (गंगापुर सिटी) ने आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000/-रूपये अपने लेडिज हैण्डबेग में से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा डिबस्या रोड केन्द्रीय विद्यालय गंगापुर सिटी के पास स्थित मंदिर पर पहुंचा, जहां पर स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादिया माया देवी पुत्री श्री तिमर सिंह उम्र 58 वर्ष जाति राजपुत निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के पीछे मिर्जापुर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल प्रशाविका (एएनएम) कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल कार्यरत उप स्वास्थ्य केन्द्र जाट बडोदा (गंगापुर सिटी) ने आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000/-रूपये अपने लेडिज हैण्डबेग में से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये, पेश शुदा नोटों को गवाहान को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त 25,000/-रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादियां मायादेवी की जामा तलाशी श्रीमति ममता शर्मा महिला कानि. से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन व हैण्डबैग के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 25,000/-रूपये के नोट परिवादियां मायादेवी के लेडिज हैण्डबैग की उपर की जेब में रखवाये गये तथा परिवादियां को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने चहरे पर बंधे हुए दुप्पटा को हटा कर ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादियां व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री लाल बहादुर चतुर्वेदी से ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें पानी भरवाकर ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त पारदर्शी डिस्पोजल गिलास मे डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इसके बाद उक्त पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादिया एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को ढक्कन बंद करवाकर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को उक्त गवाह के हाथ साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादिया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने-अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादिया माया देवी को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर मय पूर्व में उपयोग में लिये गये एसडी कार्ड को चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवष्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर बाद हस्ताक्षर

शामिल पत्रावली की गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। इसके बाद समय करीब 11.15 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादिया व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नोटो पर फिनोफ्थील पाउडर लगाने वाले कार्मिक श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक को मय फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बे सहित (प्लास्टिक थैली में अन्दर रखवाकर) मुनासिफ हिदायत कर मौके से ब्यूरो कार्यालय सवाई माधोपुर के लिये रवाना किया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादिया मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी मय सरकारी/प्राईवेट वाहन मय ट्रेप उपकरण/सामग्री के मौके से ईदगाह तिराहा गंगापुर सिटी के लिये रवाना होकर ईदगाह तिराहा गंगापुर सिटी पर पहुंचने पर परिवादिया से आरोपी की उपस्थिति ज्ञात करवाई तो परिवादिया ने बताया कि अभी बीसीएमओ साहब कार्यालय में नही पहुंचे है, बीसीएमओ साहब बत्तीलाल मीना जी के कार्यालय में उपस्थित आने पर मुझे सूचना मिल जायेगी। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के ईदगाह तिराहे के आस-पास मुकीम हुये। इसके पश्चात समय 01.00 पी.एम पर परिवादिया माया देवी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अवगत करवाया कि बीसीएमओ साहब कार्यालय में आ गये है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादिया, स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी मय सरकारी/प्राईवेट वाहनो के ईदगाह तिराहे के पास से बीसीएमओ कार्यालय की तरफ रवाना समय 01.12 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा बीसीएमओ कार्यालय के पास शीतला माता मंदिर के पास अलीगंज रोड गंगापुर सिटी पहुंचा हॅू, जहां पर परिवादिया माया देवी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना बीसीएमओ से रिश्वत लेन-देन हेतु कार्यालय बीसीएमओ गंगापुर सिटी के लिए रवाना किया गया, मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादिया के नियत ईशारे की प्रतिक्षा में कार्यालय बीसीएमओ गंगापुर सिटी के आस-पास मुकीम हुआ। इसके पश्चात समय 03.15 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादिया माया देवी पुत्री श्री तिमर सिंह उम्र 58 वर्ष जाति राजपुत निवासी अम्बेडकर धर्मषाला के पीछे मिर्जापुर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल प्रशाविका (एएनएम) कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल कार्यरत उप स्वास्थ्य केन्द्र जाट बडोदा (गंगापुर सिटी) द्वारा समय 03.10 पीएम पर प्राईवेट मकान (शीतला माता के मन्दिर के पास अलीगंज रोड गंगापुर सिटी) में संचालित कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर से बहार निकलकर रोड के किनारे पर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा चहरे पर बंधा हुआ दुप्पटा को हटा कर किया, जिस पर मन ज्ञान सिंह चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही रोड के किनारे परिवादिया श्रीमति माया देवी के पास पहुचां जहां पर परिवादिया मौजूद मिली जिनसे ईशारा कर वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादिया ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि डॉ बत्तीलाल मीना, बी.सी.एम.ओ. साहब द्वारा उक्त मकान के प्रथम मंजिल पर स्थित कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी गंगापुर सिटी में अपने कक्ष के अन्दर मेरे को बिठाकर रिश्वत के 25000 रूपये मांग कर पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब में रख लिये है इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहन व स्टाफ सदस्यों व परिवादिया को हमराह लेकर उक्त मकान के खुले हुये मैंन गेट के अन्दर प्रवेष कर सिढियो से होता हुआ प्रथम मंजिल पर पहुंचा, जहां पर प्रथम मंजिल पर सीढियो के सामने बने कमरे में टेबिल-कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया जिसकी तरफ परिवादिया ने ईषार कर बताया कि ये बीसीएमओ डॉ. बत्तीलाल मीना है, इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम डॉ. बत्तीलाल मीना, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर होना बताया एवं अभी-अभी 25,000 रूपये लेने के संबंध में पुछा तो बताया कि अभी-अभी मेरे पास माया देवी आयी थी जिसने डेपुटेशन निरस्त कर इस कार्यालय में लगाने के लिए 25,000 रूपये दिये है जो मेरी पेन्ट की पीछे की दायी जेब में रखे हुए है। इस पर परिवादिया से नाम व पद पूछ कर डॉक्टर के बारे में पुछा तो बताया कि ये डॉ. बत्तीलाल मीना बीसीएमओ गंगापुर सिटी है मेरा डेपुटेशन निरस्त करने के लिए 25,000 रूपये लिए है, 5,000 रूपये पूर्व में लिए है मेरा मूल पदस्थापन स्थान बीसीएमओ गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर है, मेरे से लिए हुए 25,000 रूपये पेन्ट की पीछे की जेब में रखे है इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाह श्री लाल बहादुर चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आरोपी डॉक्टर बत्तीलाल मीना, बीसीएमओ गंगापुर सिटी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दायी जेब से 500-500 रूपये के नोटों की एक छोटी मुडी हुई गड्डी व 20 रूपये के दो नोट कुल 40 रूपये निकाल कर पेश किये जिस पर 500-500 रूपये के नोटों को गिनवाया गया तो 500-500 के 50 नोट कुल 25000 रूपये होना बताया। इस पर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू होना पाये गये, जिन्हे गवाह श्री लाल बहादूर के पास सुरक्षित रखवाया गया। आरोपी डॉ. से नाम पता व पद पुछा तो आरोपी ने अपना नाम-पता डॉ. बत्तीलाल मीना पुत्र श्री किशन लाल जाति मीना उम्र 61 साल निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी मकान नम्बर 268/4 मीना कॉलोनी मानटाउन सवाई माधोपुर हाल खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर होना बताया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. चालक 647 से सरकारी वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया व ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास व सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त पारदर्शी गिलासों में स्वतंत्र गवाह श्री रविन्द्र कुमार जाटव, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय

में रखे पानी के केम्पर में से साफ पानी भरवाकर तथा उक्त गवाह से ही थोडा-थोडा चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनो पारदर्शी गिलासों के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो परदर्षी प्लास्टिक गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितगणों को दिखाया जाकर इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना, बीसीएमओ के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा-आधा भरवाकर शीषीयों को सील चिट मोहर कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित कर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना, बीसीएमओ के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमेला हो गया, उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीषीयों को सील चिट मोहर कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित कर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना, बीसीएमओ गंगापुर सिटी की पेन्ट जिसकी पीछे की दायी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, को परिवादिया व महिला कानि. को कमरे से बहार निकालकर ससम्मान उतरवाया जाकर कार्यालय में मौजूद स्टाफ आदिल अहमद, एमपीडब्ल्यु से लोअर मंगवाकर लोअर को पहनवाया गया तथा परिवादिया व महिला कानि. को पुनः कक्ष में बुलाकर उतारी हुई पेंट की पीछे की दायी जेब के अतिरिक्त अन्य जेबो की तलाशी गवाह श्री रविन्द्र कुमार जाटव से लिवाई गई तो अन्य जेबों में कुछ नही मिला, तत्पश्चात पूर्व की भांति एक अन्य नया पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसमें पानी भरवाकर उसमें गवाह श्री रविन्द्र कुमार जाटव से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, इसके बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना, बीसीएमओ के उतरवाये हुये पेंट की पीछे की दायी जेब को उलटवाकर उक्त गवाह से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा डलवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क PP-1, PP-2 अंकित कर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात गवाह श्री लाल बहादुर चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पास पूर्व में आरोपी के पहने हुए पेन्ट के पीछे की दायी जेब से बरामद शुदा रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रुपयों जो सुरक्षित रखी हुई बरामद शुदा नम्बरी 500-500 के 50 नोट कुल 25,000 रूपये को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील्ड मौहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वत राशि के साथ मिले 20 रूपये के दो नोट 40 रूपये स्वयं की जेब खर्च के होना बताये जिनको जरिये फर्द गिरफ्तारी सुपुर्द किया जावेगा। तत्पश्चात उक्त पेंट की धुलाई हुई पीछे की दायी जेब को सुखवाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट को सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर कपडे की थेली पर मार्क P अंकित कर थैली के उपर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉडर एसडी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादिया की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन-देन की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना, बीसीएमओ को परिवादिया के कार्य से संबंधित दस्तावेज/रिकॉर्ड के बारे में पुछा तो कार्यालय में संबंधित शाखा में होना बताया जो पृथक से बरामद कर जप्त की जावेगी। इसके बाद परिवादिया एवं आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना, बीसीएमओ से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिष या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, तो परिवादिया व आरोपी ने मना कर दिया। वक्त कार्यवाही रिश्वत राशि बरामदगी व हाथों के धुलाई का धोवन एवं पेन्ट की जेब की धुलाई का धोवन आदि की श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से सरकारी मोबाईल फोन से कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिव की जावेगी। इस कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिव कर नमूना सील फर्द पर अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई तथा उपरोक्त कार्यवाही बाबत सूचना उच्चाधिकारियों को जरिये दूरभाष दी गई । इसके पश्चात आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना, खण्ड चिकित्सा अधिकारी गंगापुर सिटी का सेवा विवरण उपलब्ध करवाने बाबत श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सवाई माधोपुर को पृथक से तहरीर जारी की गई। इसके बाद समय 05.40 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादिया की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका पूर्ण एवं पर्याप्त रोशनी में तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। इसके पश्चात समय 06.30 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादियां माया देवी के सामने परिवादिया के कार्य से सम्बन्धित मूल प्रार्थना पत्र, पत्र प्राप्ति रजिस्टर आदि जर्ये फर्द जप्ती किये गये। फर्द जप्ती पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 07.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया की उपस्थिति में आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना पुत्र श्री किशन लाल जाति मीना उम्र 61 साल निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी मकान नम्बर 268/4 मीना कॉलोनी मानटाउन सवाई माधोपुर हाल खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर द्वारा परिवादिया से उसके

डेपूटशन को निरस्त कर मूल पदस्थापन स्थान पर करने के लिये बतौर रिश्वत मांग कर परिवादिया को प्राईवेट मकान (शीतला माता के मन्दिर के पास अलीगंज रोड गंगापुर सिटी) में संचालित कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में बुलाकर परिवादिया से रिश्वत राशि 25,000/- प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई रिश्वत राशि 25,000/- की राषि उसके पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दायी जेब से बरामद होने का उक्त कृत्य अन्तगर्त धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का अपराध होने एवं आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर द्वारा परिवादिया एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर धारा 35 बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त धाराओं में आरोपी को हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर तलाशी स्वंतन्त्र गवाह श्री रविन्द्र कुमार जाटव, कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो तलाशी में अन्य कोई अन्य वस्तु नही मिली। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से अपनी पत्नी श्रीमति शीला देवी को जरिये मोबाईल उनके मोबाईन नम्बर पर दी गई। कार्यालय में उपस्थित श्री विकल्प जैमिनी, सहायक लेखाधिकारी प्रथम को आरोपी की जामा तलाशी में मिला एनारोईड मोबाईन फोन, बेल्ट व रिश्वत राशि के साथ मिले 40 रूपये को आरोपी की इच्छा से सुपुर्द किये गये। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितो को पढकर सुनायी गई सुन समझ सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 08.10 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादिया व महिला कानि. एवं मय ट्रेप पार्टी एवं गिरफ्ताशुदा आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व जप्त/शील्डशुदा शीशियां, पेन्ट पैकिट व बरामद शील्ड शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 25000/-रूपये आदि मय सरकारी/प्राईवेट वाहनों के बाद कार्यवाही मौके पर से रवाना होकर 10.25 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादिया एवं मय ट्रेप पार्टी एवं गिरफ्ताशुदा आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के बाद स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर पहुंचा। जहां पर ट्रेप कार्यवाही में बजह सबूत जप्त समस्त आर्टिकल रिष्वत राषि, धोवन की सील्ड शीशीयों, पेन्ट पैकिट को जमा मालखाना जरिये कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. 133 करवाया गया तथा गिरफतार शुदा आरोपी को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में रखा गया। इसके पश्चात समय 11.10 पी.एम पर गिरफ्ताशुदा आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को कार्यालय में खाना खिलाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मानटाउन में बन्द हवालात करवाया गया। इसके पश्चात दिनांक 24.02.2026 को समय 12.05 ए. एम पर परिवादिया से प्राप्त शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें दिनांक 25.12.2025 एवं दिनांक 20.02.2026 की परिवादिया माया देवी एवं आरोपी बत्तीलाल मीना बीसीएमओ के मध्य हुई रूवरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादिया की मौजुदगी में विभागीय कम्प्यूटर से चलाकर कर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेबल स्पीकर से सुना एवं गवाहान व परिवादिया को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादिया से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से उक्त रिकार्ड वार्ताओ की विभागीय कम्पयूटर की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईव I BALL PENDENT 16 जीबी न्यायालय प्रति मार्क A एवं मुलजिम प्रति मार्क A-1 एवं आई.ओ. प्रति मार्क A-2 में डब करवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त डब पैनड्राईवों की कार्यालय कम्पयूटर की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा मूल न्यायालय प्रति एवं मुल्जिम प्रति डब पैनड्राईवों को कवर में सुरक्षित रख कर पृथक-पृथक कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क A एवं मुलजिम प्रति पेन ड्राईव मार्क A-1 को शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति मार्क A-2 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात समय 05.00 ए.एम पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में डले एसडी कार्ड जिसमें परिवादिया एवं आरोपी बत्तीलाल मीना बीसीएमओ गंगापुर सिटी के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 23.02.2026 रिकार्ड है को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादिया की मौजुदगी में विभागीय कम्प्यूटर से चलाकर कर टेबल स्पीकर से सुना एवं गवाहान व परिवादिया को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादिया से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से उक्त रिकार्ड वार्ताओ की विभागीय कम्पयूटर की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईव I BALL PENDENT 16 जीबी न्यायालय प्रति मार्क B एवं मुलजिम प्रति मार्क B-1 एवं आई.ओ. प्रति मार्क B-2 में डब करवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त डब पैनड्राईवों की कार्यालय कम्पयूटर की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा मूल न्यायालय प्रति एवं मुल्जिम प्रति डब पैनड्राईवों को कवर में सुरक्षित रख कर पृथक-पृथक कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क- B एवं मुलजिम प्रति पेन ड्राईव मार्क B-1 को शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ.

प्रति मार्क B-2 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिश्वत मांग सत्यापन एंव रिश्वत लेन देन वार्ताओ को रिकार्ड करने हेतु उपयोग में लिये गये मूल RGT 08 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकोर्डर से बाहर निकालकर ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई एवं मूल एसडी कार्ड प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क- SD अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। इसके बाद समय 08.30 ए.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादिया के सामने दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये राजवीर सिंह कानि0 149 द्वारा सरकारी माबाईल कैमरा में करवाई गई कार्यवाही सबंधी बीडीयोग्राफी को तीन नये खाली पैनड्राईवों में जरिये कानि. राजवीर सिंह से डब करवाई जाकर मार्क. V व V-1 एवं V-2 अंकित करवाकर पैनड्राईव मार्क. V व V-1 को कवरों में अलग अलग रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव मार्क- V-2 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर थैली पर मार्क अंकित कर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में जप्त/सील्ड रिकार्ड वार्ताओं के सील्ड पैनड्राईव मार्क-A, A-1 एवं B, B-1 एवं मूल एसडी कार्ड मार्क SD एवं बीडीयोग्राफी के सील्ड पैनड्राईव मार्क V व V-1 को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. 133 को सुरक्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद श्री मनोज कुमार कानि. चालक 647 मय श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक को मय सरकारी वाहन के पुलिस थाना मानटाउन में सुरक्षा की दृष्टि से बन्द हवालात गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ बत्तीलाल मीना बीसीएमओ को पुलिस थाना मानटाउन से एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर पर उपस्थित लाने पर समय 10.15 ए.एम पर गिरफ्तार शुदा आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर से परिवादिया से मांगी एवं प्राप्त की गई रिश्वत एवं पैडिंग कार्य के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट तैयार कर पढाकर बाद हस्ताक्षर शामिल फाईल किया गया। इसके पश्चात समय 11.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की बिना नम्बरी सील जिस पर ACD SWM लिखा हुआ है, को परिवादिया एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये नष्ट किया जाकर फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा बाद कार्यवाही ट्रेप कार्यवाही परिवादिया माया देवी एवं स्वतंत्र गवाह को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही आवश्यक हिदायत देकर रूखस्त दी गई। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय विषेष न्यायाधीष विषिष्ठ न्यायालय भ्र0 नि0 अधि0 भरतपुर में वास्ते जेसी पेश किया जावेगा। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त डॉ. बत्तीलाल मीना खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादिया माया देवी प्रषाविका (एएनएम) कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल कार्यरत उप स्वास्थ्य केन्द्र जाट बडोदा (गंगापुर सिटी) से उसके व्यवस्थार्थ पदस्थापन स्थान से मूल पदस्थापन स्थान पर लगाने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 25.12.2025 को 25,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर 5,000 रूपये प्राप्त करना एवं दिनांक 20.02.2026 को पुनः रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 25.12.2025 को हुई रिश्वत मांग में शेष रहे 20,000/- रूपये रिश्वति राशि में 5,000/- रूपये बढाकर 25,000/-रूपये रिश्वत राशि की और मांग की गई। उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 23.02.2026 को परिवादिया से प्राईवेट मकान (शीतला माता के मन्दिर के पास अलीगंज रोड गंगापुर सिटी) में संचालित कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपखण्ड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में बुलाकर शेष रिश्वत राशि 25,000 रूपये प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई 25,000 रुपये की राषि उसकी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांयी जेब से बरामद होने पर रंगे हाथों पकडे जाने पर गिरफ्तार किया गया। परिवादिया के कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रमाणित फोटो प्रति जरिये फर्द जप्ती की गई। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त डॉ. बत्तीलाल मीना खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के पास परिवादिया माया देवी प्रशाविका (एएनएम) का कार्य लम्बित होना पाया गया। इस प्रकार सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त डॉ. बत्तीलाल मीना पुत्र श्री किशन लाल जाति मीना उम्र 61 साल निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी मकान नम्बर 268/4 मीना कॉलोनी मानटाउन सवाई माधोपुर हाल खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाएगी। श्री ज्ञान सिंह चैधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञान सिंह चैधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी डॉ. बत्तीलाल मीना पुत्र श्री किशन लाल जाति मीना उम्र 61 साल निवासी नारायणपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी मकान नम्बर 268/4 मीना कॉलोनी मानटाउन सवाई माधोपुर हाल खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी

जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 345 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 398-401 दिनांक 25.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/02/2026 17:18:45

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1965				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)